"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 252] रायपुर, सोमवार, दिनांक 24 जून 2013—आषाढ़ 3, शक 1935

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जून 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ-9-3/2013/34-2/1399.—राज्य शासन निर्मल भारत अभियान (संपूर्ण स्वच्छता अभियान) के अंतर्गत निर्मल ग्राम पुरस्कार (एन.जी.पी.) के लिए भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिसम्बर 2012 में जारी दिशा निर्देश अनुसार निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रदान करने हेतु ग्राम पंचायतों का चुनाव राज्य द्वारा करने हेतु राज्य स्तर पर "राज्य निर्मल ग्राम पुरस्कार" (SNGP) "चयन समिति" का निम्नानुसार गठन करता है :—

1	सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	अध्यक्ष
2	सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
3	सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
4	सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
5	सचिव, छ.ग. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
6	विशेष सचिव/उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वा. यां. विभाग	सदस्य
7	प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छ.ग. रायपुर	सदस्य सचिव
8	राज्य नोडल अधिकारी, (एनबीए) प्रमुख अभियंता, रायपुर	सदस्य
9	प्रतिनिधि, यूनिसेफ, छत्तीसगढ़ रायपुर	सदस्य
10	संचालक, जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन, अनुपम नगर, रायपुर	सदस्य
11	संचालक, सी.सी.डी.यू. कार्यालय प्रमुख अभियंता परिसर, रायपुर	सदस्य

उपरोक्तानुसार गठित समिति के कार्य/SNGP की चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

1. जिला जल एवं स्वच्छता समिति (DWSC) द्वारा ग्राम पंचायतों से आवेदन पत्र मंगाया जावेगा तथा आवेदन पत्रों को जांच-पड़ताल कर राज्य शासन को अनुशंसा सहित प्रस्तुत किया जावेगा. राज्य मंत्रालय एक व्यापक दिशा निर्देश का मसौदा तैयार करेगा, जिसमें जिलों

के लिए सामान्य सर्वेक्षण प्रणाली का ब्यौरा शामिल किया जावेगा और इसे अंतर-जिला सर्वेक्षण दल के माध्यम से जांच-पड़ताल सुनिश्चित कर, निरीक्षण प्रतिवेदन, संबंधित जिला जल एवं स्वच्छता समिति को उपलब्ध करावेगा, जो उसकी जांच कर राज्य शासन को अंतिम सिफारिशें विभागाध्यक्ष के माध्यम से SNGP चयन समिति को प्रस्तुत करेगा.

2. विभागाध्यक्ष के माध्यम से जिलों से प्राप्त अंतिम सिफारिशों को राज्य निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए ग्राम पंचायतों के चयन उपरोक्त गठित समिति द्वारा किया जाएगा एवं आवेदन पत्रों को ऑन लाईन द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया जावेगा.

3. जांच-पड़ताल करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा निर्धारित कोई स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा चयनित सूची में से न्यूनतम 25 प्रतिशत ग्राम पंचायतों का समग्र सत्यापन कराया जावेगा.

4. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय अधिकारियों तथा एन.आर.सी. कन्सलटेंट को नियुक्त करके चयनित सूची में से 5 प्रतिशत ग्राम पंचायतों का समग्र सत्यापन करेंगे.

5. नमूना सत्यापन के परिणाम प्राप्त होने के बाद राज्य पात्र ग्राम पंचायतों का अंतिम रूप से चयन करेगा.

6. पुरस्कार के लिए अंतिम रूप से चयन पंचायतों की सूची राज्य की वेबसाईट पर प्रदर्शित की जावेगी. पुरस्कार की घोषणा की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर राज्य द्वारा इसे एन.जी.पी. वेबसाईट पर अपलोड किया जावेगा. ग्राम पंचायतों के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जावेंगे.

7. ब्लॉक और जिला पंचायतों को निर्मल घोषित करने हेतु चयन का अधिकार केन्द्र के पास यथावत् बना रहेगा, अतः समिति इनकी अनुशंसा कर भारत सरकार को भेजेगी.

8. निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित ग्राम पंचायतों में स्वच्छता के विभिन्न अवयवों के स्थायित्व को बनाये रखने हेतु समय-समय पर आवश्यक कार्यवाही करेगी/मार्गदर्शन देगी.

उपरोक्तानुसार गठित समिति की बैठक कम से कम तीन माह में एक बार एवं कम से कम चार बैठक प्रतिवर्ष होगी. इस आदेश पर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन एवं अध्यक्ष राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन तथा सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति प्राप्त है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.